

उत्तर पश्चिम रेलवे, सुरक्षा विभाग, बीकानेर मण्डल
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा बी के अनुसार
अधिनियम का क्रियान्वयन

1. संगठन का विवरण, कार्य एवं दायित्व :-

मण्डल स्तर पर मण्डल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/बीकानेर सुरक्षा विभाग के संपूर्ण प्रभारी है। मण्डल की सुरक्षा संबंधी समस्त गतिविधियां उनके द्वारा समन्वित होती हैं तथा उनके कार्य में सहायक सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर व सहायक सुरक्षा आयुक्त/हिसार तथा पोस्ट/आउट पोस्ट प्रभारी कार्य करते हैं। मण्डल के नियंत्रण कक्ष में सुरक्षा नियंत्रण भी कार्यरत है जो परिचालन नियंत्रण को गाड़ियों के सहज-सुरक्षित संचालन में सहायक कार्य करता है।

सुरक्षा विभाग के कार्य :-

- (1) रेल संपत्ति की सुरक्षा , यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा।
- (2) रेल संपत्ति या यात्री क्षेत्र में आने वाली समस्त बाधाओं का निराकरण।
- (3) बेहतर सुरक्षा के लिए अन्य गतिविधियां तथा रेल संपत्ति की सुरक्षा , यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा।

2. अधिकारियों एवं प्रभारियों की शक्तियां व दायित्व :-

S. N o.	Designation	Duties
01	मण्डल सुरक्षा आयुक्त	मण्डल सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर सुरक्षा विभाग के संपूर्ण प्रभारी है जो मण्डल रेल प्रबंधक के अधीन कार्यरत है। विभाग का संपूर्ण प्रबंधन तथा समस्त गतिविधियों का समन्वय , निर्णय, अनुअपील नियम पर कार्यवी , मण्डल के अन्य विभागों तथा प्रधान कार्यालय से समन्वय बनाए रखना उनके कार्य दायित्व है। (रेसुब नियम 1987 के 39 अनुसार)
02	सहायक सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर	मण्डल सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर के अधीन बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण, रेल संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा रेल के सहज-सुरक्षित संचालन का कार्य देखते हैं तथा बल के बेहतर प्रशासन व अनुशासन का भी ध्यान रखते हैं। बीकानेर ,लालगढ़, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ पोस्ट व आउट पोस्टों के कार्यों पर पर्यवेक्षण करते हैं
03	सहायक सुरक्षा आयुक्त/हिसार	मण्डल सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर के अधीन बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण, रेल संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा रेल के सहज-सुरक्षित संचालन का कार्य देखते हैं तथा बल के बेहतर प्रशासन व अनुशासन का भी ध्यान रखते हैं। हिसार, सिरसा, भिवानी व सादुलपुर पोस्ट व आउट पोस्टों के कार्यों पर पर्यवेक्षण करते हैं

03	पोस्ट / आउट पोस्ट प्रभारी	अपने पोस्ट / आउट पोस्ट क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण, रेल संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा व रेल के सहज - सुरक्षित संचलन का कार्य देखते हैं। अभियुक्तों को हिरासत में लेना रेल संपत्ति चोरी के मामले में पूछताछ, अवैध ट्रेसपास, रेलवे टिकटों की अवैध खरीद फरोख्त करने का काम करने वालों विरुद्ध आर पी (यू पी एक्ट), रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही करना, अप्रिय घटनाओं के दावों के संबंध में जांच तथा प्रशासन द्वारा सौंपी गई विभिन्न प्रकार की जांच कार्य करना। वह अपने अधीन बल कर्मियों के अनुशासन तथा तत्परता से विधिक आदेशों, जो पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए हों, का पालन करवाने का कार्य भी करते हैं।
----	---------------------------	--

3. निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर्यवेक्षण क्रम सहित:-

कार्य स्थल की इकाइयों की गतिविधि विभिन्न वेतनमानों में कार्यरत संबंधित पर्यवेक्षकों के अधीन चलती हैं। सुरक्षा विभाग (रेसुब) में पोस्ट / आउट पोस्ट प्रभारी समस्त गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं जैसे रेल संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों तथा उनसे संबंधी व यात्री क्षेत्र की सुरक्षा। रेलवे संपत्ति विनियम तहत हिरासत में लेने व अभियोजन की शक्तियों के साथ रूप से माल बेचने, गाड़ी रोकने की जंजीर का गलत उपयोग करने वालों तथा ट्रेस पासिंग करने वालों के विरुद्ध भी विभिन्न नियम विनियम शक्तियां प्राप्त हैं। यह पुलिस को भी रेल क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने में सहायता तथा अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। ऐसे मामले जिनमें इनके स्तर पर निर्णय संभव नहीं है को उच्च प्राधिकारी सहायक सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर को भेजा जाता है। मुख्य निर्णय जैसे नीतिगत निर्णय, कर्मचारी कल्याण, च केयर कॉम्प्लेक्स जयपुर तथा स. म. यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज) को भेजा जाता है।

बड़े निर्णय जैसे नीतिगत निर्णय, कर्मचारी कल्याण, सुविधाओं की रचना शाखाधिकारी वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय जो वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/बीकानेर की सक्षमता के परे हैं को अपर मंडल रेल प्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक को भेजा जाता है तथा उच्चतर स्तर पर क्षेत्रीय मुख्यालय को भेजा जाता है।


4. स्थापित मानदंड तथा कार्य निष्पादन रीति:-

विभिन्न संरक्षा संबंधित लक्ष्य जैसे रेल संपत्ति की सुरक्षा, यात्रियों व यात्री क्षेत्र की सुरक्षा में उत्तम निष्पादन के लक्ष्य वित्तीय वर्ष / कैलेंडर वर्ष के निर्धारित किए जाते हैं। में पोस्ट / आउट पोस्ट निर्धारित लक्ष्यों अनुसार कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त समपार फाटकों के संरक्षा अभियान तथा विनियम के तहत सुरक्षा अभियान भी चलाए जाते हैं।

5. कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन हेतु काम में लिए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल तथा अभिलेख

(अ) नियम एवं विनियम

1. रेसुब नियम 1987
2. आर पी (यु पी) एक्ट 1966
3. रेलवे एक्ट 1989
4. रेल सेवा आचरण नियम
5. अनुशासन एवं अपील नियम
6. रेसुब एक्ट 1957
7. पास नियम
8. छुट्टी नियम
9. पेंशन नियम



(ब) निर्देश एवं मैनुअल्स

1. भारतीय रेल स्थापना नियमावली
2. भारतीय रेल वित्त नियमावली
3. अनुबंध की सामान्य शर्तें तथा मानक विनिर्देश
4. कोच अनुरक्षण मैनुअल
5. वैगन अनुरक्षण मैनुअल
6. सामान्य नियम एवं सेवा नियम
7. दुर्घटना नियमावली
8. भारतीय रेलवे भंडार नियमावली

9. भारतीय रेलवे कॉन्ट्रैस नियम भाग 3 व 4
10. आर डी एस ओ द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न तकनीकी पेंफलेट तथा दिशा निर्देश
11. रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देश
12. सामान्य एवं सहायक

6 दस्तावेजों की कोटियों का विवरण जो यहां रखे जाते हैं:-

कोड, मैनुअल्स विशिष्ट विवरण, आरेख, रखरखाव संबंधी दस्तावेज, अभिलेख, फाइलें विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए रखे गए हैं। बोर्ड के नीति व दिशा निर्देशन, विभिन्न कोड मैनुअल्स की करेक्शन स्लिप शामिल हैं। कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के आंतरिक पत्राचार भी हैं जो सामान्य जन से सीधे संबंधित नहीं हैं।

7. जन प्रतिनिधियों के साथ नीतिगत निर्णयों तथा उनके क्रियान्वयन के संबंध में की गई व्यवस्था संबंधी विवरण:-

आंतरिक मामलों के लिए अनीपचारिक बैठकें तथा सुरक्षा सम्मेलन, मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ स्थाई वार्ता तंत्र की तथा एसोसिएशन के साथ आवधिक बैठकों की व्यवस्था है जिनमें स्थापना, परिचालन, कर्मचारी कल्याण के विविध मामलों पर चर्चा के साथ हल निकाला जाता है। सार्वजनिक मामलों में के शाखाधिकारी के पास कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत वह जन प्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार की बैठक रख सकता हो, हालांकि मंडल रेल प्रबंधक उपभोक्ता सलाहकार समिति के साथ आवधिक बैठकें रखते हैं तथा आवश्यकतानुसार जन संबंधी विषय पर प्रेस वार्ता रखते हैं।

8. बोर्ड, काउन्सिल, समिति या अन्य संस्था जो दो या अधिक सदस्यों की हो जो इसका भाग हो या सलाह के लिए बनाई गई हो, ऐसे बोर्ड, काउन्सिल, समिति या अन्य संस्था जो जनता के लिए खुली हो या जिसकी बैठक या कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हों का विवरण:-

सुरक्षा विभाग में ऐसा कोई बोर्ड, काउन्सिल, समिति या अन्य संस्था नहीं है।

9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :-

क.सं.	नाम	पदनाम	रेलवे फोन (STD- 097)	BSNL फोन	फैक्स	मोबाईल नं.
01	रिक्त	मण्डल सुरक्षा आयुक्त	44960	0151-2202269		9001197700
02	श्री धनश्याम मीणा	सहायक सुरक्षा आयुक्त / बीकानेर	44962	0151-2544817		9001197701
03	श्री मनोज शर्मा	सहायक सुरक्षा आयुक्त / हिसार	---	---		7300049635
04	सुश्री नीलू गोठवाल	मण्डल निरीक्षक	44988	---	---	7300049607
05	श्री विनोद कुमार जांगडे	निरीक्षक बीकानेर	44966	0151-2544834		9001197703
06	श्री नवीन कुमार	निरीक्षक लालगढ	44978	0151-2253613		9001197702
07	श्री उदय सिंह	निरीक्षक हनुमानगढ	42588	01552-260269		9001197704
08	श्री विरेन्द्र रत्नाकर	निरीक्षक श्रीगंगानगर	49602	0154-2444257		7300049632
09	श्री सुनील कुमार	निरीक्षक सादुलपुर	47588	01559-224080		9001197705
10	श्री उषा निरंकारी	निरीक्षक सिरसा	47488	01666-235856		9729595709
11	श्री बीरबल कुमार	निरीक्षक हिसार	43588	01662-232820		9729595708
12	श्री रोहिताश कांटवा	निरीक्षक भिवानी	40588	01664-255260		9729595710
13	श्रीमति कविता	निरीक्षक गंडल शिविरपाल	44989			7300049615

मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर-0151-2544834, 0151-2540562

10. मासिक रूप से अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक :-

आरपीए विभाग में कार्यरत स्टाफ व आफिसर को 7 वें वंतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है।

12. ठसकी समस्त एजेन्सियों को आवंटित बजट जो समस्त प्रस्तावित प्लान के खर्चों तथा भुगतान की रपट को बताने वाला हो:-

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश		
क्र.स.	मद	
1	व्यय सविदा, जिसके लिए पंजीकृत / अनुमोदित सूची अनुरक्षित की जाती है, के लिए ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं / बैंडर्स का पंजीयन	लागू नहीं
2	व्यय सविदा, जिसके लिए पंजीकृत / अनुमोदित सूची अनुरक्षित की जाती है, के लिए ठेकेदारों का पंजीयन	लागू नहीं
3	भंडार विभाग द्वारा प्राप्ति के संदर्भ में व्यवसाय समूहों एवं श्रेणी के अनुसार फर्मों का पंजीयन	लागू नहीं
4	चिकित्सा आपूर्ति एवं हेल्थ केयर के लिए फर्मों / चिकित्सालयों का पंजीयन	लागू नहीं
5	उपरोक्त मद सं 1,2,3 तथा 4 के संदर्भ में पंजीयन का नवीनीकरण/ पुनः पंजीयन	लागू नहीं
6	निदेशालय परिचालन प्रक्रिया (डी ओ पी) तथा तकनीकी आवश्यकता की अनुसूची (एस टी आर) के साथ आर डी एस ओ द्वारा बैंडर्स का अनुमोदन (पार्ट I या पार्ट II दोनों)। उन्हें आवंटित किए गए मदों के लोत के अनुमोदन के लिए डी एन डब्ल्यू, सी एन डब्ल्यू, आई सी एफ, आर सी एफ द्वारा समतुल्य कार्रवाई की जानी चाहिए।	लागू नहीं
7	आर डी एस ओ, कोर, डी एन डब्ल्यू, सी एन डब्ल्यू, आई सी एफ, आर सी एफ द्वारा बैंडर्स के अनुमोदन का नवीनीकरण (पार्ट I या पार्ट II दोनों)	लागू नहीं
8	बैंडर्स का भाग II सूची से भाग I सूची में उन्नयन	लागू नहीं
9	आर डी एस ए तथा सी बी ए के लाइसेंस	लागू नहीं
10	पी सी ओ बूथ लाइसेंस	लागू नहीं
11	वाणिज्यिक भूखंड	लागू नहीं
12	भंडारण की अनुमति	लागू नहीं
13	पे एंड यूज प्रसाधन लाइसेंस	लागू नहीं
14	फूड प्लाजा के लिए लीज देना	लागू नहीं
15	पार्सेल संबंधी कार्य एवं यामान्तरण का लाइसेंस	लागू नहीं
16	मांग पत्रों का पंजीकरण तथा रेक का आवंटन	उप शीर्ष लिंक देखें
17	पर्यटक कार, कोच एवं ट्रेन बुकिंग	लागू नहीं
18	क्षतिपूर्ति के दावों के लिए आवेदन पत्र	लागू नहीं
19	मालभाड़ा एवं किराए की धन वापसी (रिफंड) के लिए आवेदन पत्र	लागू नहीं
20	डैमरेज एवं बूहाफैज को माफ करना	लागू नहीं
21	सविदा पर सलाहकार चिकित्सक की नियुक्ति एवं इसका नवीनीकरण	लागू नहीं
22	सांस्कृतिक कोटा, खेल कूद कोटा, विकलांग कोटा तथा स्काउट एवं गाइड के सापेक्ष नियुक्ति, रिक्तियां/ परीक्षा तिथि	लागू नहीं
23	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले	10
24	ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान के सभी विषयों की स्थिति	लागू नहीं

25	रेलवे भर्ती बोर्ड तथा आर पी एफ/ आर पी एस एफ द्वारा भर्ती	लागू नहीं
क	रोजगार सूचना जिसमें रिक्तियों की संख्या, कोटि, राज्य (केवल आर पी एफ एवं आर पी एस एफ के मामलों में) समुदाय अनुसार, पात्रता आदि	लागू नहीं
ख	आवश्यक सूचनाओं सहित आवेदन पत्रों की प्राप्ति की स्पष्ट स्थिति	लागू नहीं
ग	निरस्त किए गए आवेदनों का विवरण	लागू नहीं
घ	बुलावा पत्र जारी करने का विवरण	लागू नहीं
ङ	परीक्षा की तिथि एवं समय तथा परीक्षा का स्थान	लागू नहीं
च	परिणाम तथा पैनल का प्रकाशन	लागू नहीं
छ	परिणाम रोकने या परीक्षा निरस्त करने संबंधी सूचना	लागू नहीं
26	स्टोर कान्ट्रैक्ट के माध्यम से इंजीनियरिंग, यांत्रिक, विजली, सिग्नल एवं दूरसंचार तथा चिकित्सा विभागों के 1 करोड़ से अधिक, वाणिज्य विभाग का 0.50 लाख तथा 20 लाख से अधिक मूल्य की सभी खरीद के निविदा / निर्माण संविदा का विवरण। कार्य प्रारंभ/समाप्ति की वास्तविक तिथि/ यदि देरी हुई तो उसका कारण।	लागू नहीं
27	क्र सं 26 के अनुसार सभी निर्माण संविदा / खरीद का मासिक विवरण	लागू नहीं
28	सभी प्रकार के लाइसेंस, अनुमति, क्लीयरेंस	लागू नहीं
29	सभी प्रकार के आवेदन प्रोफार्मा, वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए जिन्हें डाउनलोड किया जा सके। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् दस्तावेजों में पाई गई कमियां / भेजी गई सूचना	लागू नहीं
30	प्रत्येक आवेदन / मामले की स्थिति	लागू नहीं